मॉड्यूल 6: बच्चों की वैकल्पिक देखरेख

सत्र 2: किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान– परिभाषा, गठन एवं उद्देश्य

अवधि: 3:29 मिनट

अब हम पंजीकरण की प्रक्रिया को जान गए हैं। इसलिए आईए अब जाने कि बाल देखरेख संस्थाओं में, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 67 के अनुसार सुरक्षा के क्या तरीके अपनाए जाते हैं।

- प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बच्चे की श्रेणी, उम्र वर्ग, संस्थान का लक्ष्य और बच्चों से तथा बच्चों को जोखिम की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी रखे जाएंगे।
- जिन बाल देखरेख संस्थानों में लड़कियां रहती हैं, वहाँ आन्तरिक सुरक्षा की देखरेख के लिए महिला सुरक्षाकर्मी रखी जाएंगी और बाहरी सुरक्षा के लिए पुरूष सुरक्षाकर्मी रखे जा सकते हैं।
- अगर कोई बच्चा रात में किसी चिकित्सीय समस्या या किसी भी तरह की समस्या बताता है तो तुरन्त उसके देखभालकर्ता को रिपोर्ट किया जाएगा।
- संस्थान के प्रभारी द्वारा बाल देखरेख संस्थान का 'ड्यूटी रोस्टर' तैयार किया जाएगा तथा उसे संस्थान के किसी ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां से वह सभी को दिखे।

अब हम बाल देखरेख संस्थानों के सुरक्षात्मक कदमों को जान गए हैं जो संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भी जानना जरूरी है कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, बाल देखरेख संस्थानों में शारीरिक दण्ड देने की रोक है। आईए इसके बारे में और जानें।

जब संस्थान का कोई कर्मचारी किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड देता है तो क्या होगा?

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 82 के अनुसार,

कोई भी संस्थान का प्रभारी व्यक्ति या कर्मचारी बच्चे को अनुषासित करने के लिए अगर शारीरिक दण्ड देता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर वह 10,000 रूपए के जुर्माने का देनदार होगा और उसके बाद प्रत्येक बार दोषी पाए जाने पर जेल जाने का भागी होगा, जो तीन माह तक के लिए हो सकती है या जुर्माना या दण्ड दोनों का भागी होगा।

आईए अब, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 26 के अनुसार, बाल देखरेख संस्थानों के प्रबन्धन तथा अनुश्रवण के बारे में जानें।

- बाल देखरेख संस्थान के कार्यकर्ताओं की क्षमता उनके कार्य, पदों की संख्या, कार्य करने के घण्टे और कार्यकर्ताओं द्वारा देखरेख किए जाने वाले बच्चों की श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- बाल देखरेख संस्थान के कर्मचारी संस्थान के प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करेंगे तथा जो अपने आदेष से कर्मचारियों के विषिष्ट कार्यों व जिम्मेदारियों को, अधिनियम एवं नियमों की वैधानिक आवष्यकताओं को देखते हुए निर्धारित करेगा।

- हर श्रेणी के कर्मचारियों के पद, संस्थान की क्षमता के अनुसार निष्चित रहेंगे और संस्थान की क्षमता में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में बढ़ेंगे।
- ऐसे बाल देखरेख संस्थानों में जहां लड़कियां रखी जाती हैं केवल महिला कर्मचारी और प्रभारी नियुक्त की जाएंगी।
- कोई भी व्यक्ति जो बाल देखरेख संस्थान से संबंधित है वह किसी भी अपराध का दोषी, या किसी भी अनैतिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या बाल श्रम कराने वाला, या चरित्रहीनता के अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही अपने कार्यकाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी होना चाहिए।
- बिना पुलिस के सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाल देखरेख संस्थान में नियुक्त नहीं किया जाएगा।